



2026:AHC:179718

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8780 सन् 2026

नासिर खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: मोहम्मद वसीम

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. श्री मोहम्मद वसीम, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, तथा श्री परितोष मालवीय, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 1146 सन् 2025, धारा 190, 191(2), 191(3), 124(2), 121, 125, 352, 351(3), 109, 299, 223, 61(2) बी.एन.एस. एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना- बरादरी, जनपद- बरेली के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि विचारण की लंबितता के दौरान उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 388 सन् 2025 नामक एक मामले में नामित किया गया था, जिसमें अपराध अधिकतम सात वर्ष तक के दंडनीय थे। उनका निवेदन है कि पुलिस द्वारा यह पाते हुए कि आवेदक विधि के उपबंधों का लाभ उठाएगा, पुलिस ने आवेदक को वर्तमान मामले में असत्य रूप से फंसाया है, यद्यपि उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया था। वे आगे निवेदन करते हैं कि किसी भी घायल साक्षी के कथन में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक के विरुद्ध कोई पूर्ववर्ती आपराधिक मामला नहीं है तथा मुकदमा अपराध संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



388 सन् 2025 में उसके फंसाए जाने के पश्चात ही आवेदक को अब चार आपराधिक मामलों में फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास पूरक शपथ-पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। वे कथन करते हैं कि आवेदक एक निर्धन दुकानदार है तथा यदि उसे कारागार भेजा जाता है तो उसकी जीविका प्रभावित होगी। वे कथन करते हैं कि विद्वान ए.जी.ए. को समय दिए जाने के बावजूद, अद्यतन तक कोई प्रति-शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. विद्वान ए.जी.ए. का कथन है कि आवेदक ने एक घृणा अपराध (हेट क्राइम) में भाग लिया है। आवेदक उन व्यक्तियों में से एक था, जिन्होंने विधि-विरुद्ध जमाव बनाकर पत्थर एवं तेजाब की बोतलें फेंककर पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप दो पुलिसकर्मियों, अर्थात् हेड कांस्टेबल सिद्धांत चौधरी तथा कांस्टेबल आशीष को चोटें आईं। तथापि, वे इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि घायल साक्षियों के कथन में आवेदक को विशेष रूप से कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि पुलिसकर्मियों के शरीर पर कोई गंभीर चोटें नहीं हैं।
5. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा घायल साक्षियों के कथन को दृष्टिगत रखते हुए, मैं यह पाता हूं कि आवेदक की अभिरक्षात्मक गिरफ्तारी एवं निरोध आवश्यक नहीं है। यह भी प्रथम-दृष्ट्या प्रतीत होता है कि कथित अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या तथा घायलों को आई चोटें परस्पर आनुपातिक नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में, मैं आवेदक को उसके विचारण की लंबितता के दौरान अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूं।
6. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
7. आवेदक-**नासिर खान** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-
 - i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के निर्णयन हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं समझा जाएगा।

(सुभाष चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति)

25 अगस्त, 2026

टी.एस.